प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.05.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की योजना बनाने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 लोहा काटने की आरी के पत्ता, 01 हथौडा, 01 प्लास, 01 पेचकस, 01 अवैध तमंचा 03 जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 26.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की योजना बनाने वाले 03 अभियुक्त 1.प्रशान्त शर्मा उर्फ शाहरूख कालिया पुत्र वीरेन्द्र शर्मा उर्फ वीरू निवासी आगरा रोड चुंगी निकट कृष्णा कॉलेज थाना कोतवाली नगर एटा हाल पता किरायेदार खुशी वाटिका थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 2. रितेश शर्मा पुत्र गिरन्द शर्मा निवासी जेल रोड थाना कोतवाली नगर लालपुर एटा उम्र करीब 24 वर्ष 3. अमित शाह पुत्र राजकुमार निवासी खुशी वाटिका थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल पता ग्राम मझयावा जिला आरा विहार उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 लोहा काटने की आरी के पत्ता, 01 हथौडा, 01 प्लास, 01 पेचकस, 01 अवैध तमंचा 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद 315 बोर बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 312/313 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम तीनों रात्रि को घरो में चोरी करने के उद्देश्य से आये थे और बैठकर योजना बना रहे थे। हम तीनों ने दिन में घूम फिरकर यह जानकारी की थी कि कौन-कौन से मकान खाली हैं जिन पर ताला लगा है। आज हम लोग चोरी करने वाले थे कि आपने हमें पकड़ लिया। हम चोरी करते हुये घिर जाने के डर से अपने पास अवैध तमंचा रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.प्रशान्त शर्मा उर्फ शाहरूख कालिया पुत्र वीरेन्द्र शर्मा उर्फ वीरू निवासी आगरा रोड चुंगी निकट कृष्णा कालेज थाना कोतवाली नगर एटा, हाल पता राजबीर का मकान किराये पर खुशी वाटिका थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

2. रितेश शर्मा पुत्र गिरन्द शर्मा निवासी जेल रोड थाना कोतवाली नगर लालपुर एटा उम्र 24 वर्ष।

3.अमित शाह पुत्र राजकुमार निवासी रवि के आफिस के पास खुशी वाटिका थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद, मूल पता ग्राम मझयावा जिला आरा बिहार उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 02 लोहा काटने की आरी के पत्ता, 01 हथौडा, 01 प्लास, 01 पेचकस, 01 अवैध तमंचा 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त प्रशान्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर हत्या के प्रयास व आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 25-05-2025 को सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार की पेशी कार्यालय में नियुक्त उप निरीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्रा की रात में चली तेज आंधी और तेज बारिश के कारण पेशी कार्यालय की छत गिरने के कारण दुखद मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर उक्त कार्यालय को बनाने वाले ठेकेदार 1.बल्लू चौधरी पुत्र स्व0 शरीफ अहमद मूल पता ग्राम सोरन थाना शाहपुर बुढाना रोड जिला मुजफ्फरनगर हाल पता गली नम्बर 20 जियाउद्दीनपुर थाना दयालपुर दिल्ली उम्र करीब 57 वर्ष 2. आशीष कुमार पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी बी SPL/7 दलीप पार्क मोदीनगर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम पतला थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष व अन्य के विरुद्ध धारा 105 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.बल्लू चौधरी पुत्र स्व0 शरीफ अहमद मूल पता ग्राम सोरन थाना शाहपुर बुढाना रोड जिला मुजफ्फरनगर हाल पता गली नम्बर 20 जियाउद्दीनपुर थाना दयालपुर दिल्ली उम्र करीब 57 वर्ष 2. आशीष कुमार पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी बी-SPL/7 दलीप पार्क मोदीनगर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम पतला थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता –

1.बल्लू चौधरी पुत्र स्व0 शरीफ अहमद मूल पता ग्राम सोरन थाना शाहपुर बुढाना रोड जिला मुजफ्फरनगर हाल पता गली नम्बर 20 जियाउद्दीनपुर थाना दयालपुर दिल्ली उम्र करीब 57 वर्ष
2. आशीष कुमार पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी बी-SPL/7 दलीप पार्क मोदीनगर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद मूल पता ग्राम पतला थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 25.05.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त जसविन्दर गौतम पुत्र सतीश कुमार निवासी सेक्टर-12 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद हाल पता सिद्धार्थ विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मुझसे जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है यह मैंने कुछ महीने पहले हैबतपुर थाना बिसरख क्षेत्र से चोरी की थी। मैंने पुलिस से बचने के लिए मोटरसाइकिल की

नम्बर प्लेट उतारकर फेंक दी थी। अब मैं उक्त मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड गया। मैं पूर्व में भी थाना विजयनगर से चोरी के अभियोगों में जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

जसविन्दर गौतम उर्फ जस्सी पुत्र सतीश कुमार निवासी सेक्टर-12 प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद हाल पता सिद्धार्थ विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। तथा थाना विजयनगर पर चोरी के 03 अभियोग व आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-05) अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 71,500 रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 08.05.2025 को साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक संजय कुमार पुत्र विजयपाल निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि **71,500** रूपये को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से संजय कुमार पुत्र विजयपाल निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के साथ 71,500 रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 26.05.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी साइबर सेल टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 24.05.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी गई कि वादी की बहन रूबीना की शादी वर्ष 2024 में जुबेर पुत्र जफरयाब निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद के साथ हुई थी वादी द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार शादी में काफी दान दहेज दिया गया था परन्तु रुबीना के पति व ससुराल पक्ष के लोग उक्त दान दहेज से खुश नही थे तथा दहेज के लिए वादी की बहन को तंग व परेशान तथा मानसिक रुप से प्रताडित करना तथा वादी की बहन को मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या कर देना। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल धारा 191(2)/80/85/BNS व धारा 3/4 D.P. Act के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.05.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.जुबेर पुत्र जफरयाब निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद 2. जफरयाब पुत्र स्व0 अजमत अली निवासी नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद को फरीदनगर गेट थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त जुबेर द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी शादी रुबीना से वर्ष 2024 में हुई थी दहेज के लालच में हमने मृतका को मानसिक रुप से काफी प्रताडित किया था जिसके कारण वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान रहती थी जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1 जुबेर (पति) पुत्र जफरयाब निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

2. जफरयाब (ससुर) पुत्र स्व0 अजमत अली निवासी नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।